न्यायमूर्ति जे. एस. सेखों के समक्ष

पृथ्वी राज ग्रोवर,-याचिकाकर्ता,

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

1987 की सिविल रिट याचिका *संख्या* 7966।

13सितंबर, 1990।

भारत का संविधान, 1950–अनुच्छेद 14 और 16–पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966–धारा 82–पंजाब इंजीनियर्स सेवा वर्ग I, *पी. डब्ल्यू. डी.* (भवन और सड़कें) शाखा नियमावली, 1960–नियम 5 और 9–आपसी वरिष्ठता–निर्धारण–पदोन्नति–पूर्वव्यापी संशोधन जो सेवा की शर्तों को बदलता है बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के–ऐसा संशोधन जो सेवा की शर्तों को व्यक्ति के नुकसान के लिए बदलता है और उसे पदोन्नति के लिए अयोग्य बनाता है–ऐसा संशोधन अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है और राज्य सरकार की शक्तियों से परे है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 14 जनवरी, 1985 की अधिसूचना जिसमें वर्ग पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रथम श्रेणी के नियमों के नियम 6 और 9 में संशोधन किया गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन *करते* हुए रद्द कर दिया गया है और राज्य सरकार की अधिकार सीमा से बाहर होने के कारण निरस्त किया जाता है क्योंकि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के धारा 82(6) के तहत केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। (पैरा 11 और 14)

टी. आर. कपूर और अन्य *बनाम* हरियाणा राज्य ए. आई. आर. 1987 एस. **सी.** 415 बी. एम. *शर्मा* बनाम हरियाणा राज्य 1987 (5) एस. एल. आर. 531. (अनुसरण किया गया)

पृथ्वी राज ग्रोवर *बनाम* हरियाणा राज्य और अन्य (न्यायाधीश जे. एस. सेखों)

भारत के संविधान के अनुच्छेद *226/227 के तहत लिखित याचिका में अनुरोध किया गया है कि:–*

(i) कि प्रतिवादी संख्या 1 को उस दिन से *याचिकाकर्ता पर विचार करने और उसे* पदोन्नत *करने परमादेश देते हुए अनिवार्य प्रकृति का एक रिट जारी किया जाए जिस दिन से उससे कनिष्ठ व्यक्ति को श्रेणी-1, सेवा में कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था;*

(ii) कि निषेध की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए या कोई अन्य रिट या आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी *संख्या 3 की पदोन्नति का आदेश जारी नहीं करने* का *निर्देश दिया जाए और संशोधित नियम संलग्नक पी. ए. की अनदेखी करके इस पद पर याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किया जाए;*

(iii) प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के साथ-साथ याचिकाकर्ता की पदोन्नति के *संबंध* में *मामले का रिकॉर्ड मामले के न्यायसंगत और उचित निर्णय के लिए बुलाया जाना चाहिए;*

(iv) कि कोई अन्य रिट, आदेश या निर्देश जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त समझा जाए, भी जारी किया जा सकता है;

(v) प्रतिवादी पर प्रस्ताव की अग्रिम सूचना की सेवा को समाप्त कर दिया जाए;

(vi) कि अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट दी जाए;

(vii) वह लागत इस याचिका के याचिकाकर्ता को दी जाएगी।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 3, *जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ है, की पदोन्नति पर इस रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान रोक लगाई जा सकती है।*

याचिकाकर्ता की ओर *से अधिवक्ता इंद्रजीत मल्होत्रा ने कहा,*

मदन देव, राज्य *की ओर से अधिवक्ता*

एच. एल. सिब्बल, के. के. के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता "जगिया, आर. के. हांडा और गुरदीप सिंह, *अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए और 3.*

न्याय

न्यायाधीश *जे. एस. सेखों,*

याचिकाकर्ता पृथ्वी राज ग्रोवर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद 8 जनवरी, 1963 को पंजाब पीडब्ल्यूडी बी एंड आर शाखा में अनुभागीय अधिकारी के रूप में शामिल हुए। पंजाब राज्य के पुनर्गठन पर, याचिकाकर्ता को हरियाणा राज्य में अनुभाग अधिकारी के रूप में शामिल हुए। पंजाब राज्य के पुनर्गठन के बाद, याचिकाकर्ता को हरियाणा राज्य में अनुभाग अधिकारी के रूप में स्थानांतरित किया गया। 19 जून, 1971 को याचिकाकर्ता को उप-मंडल अधिकारी के रूप में पदोन्नत किया गया था और उसी तारीख, यानी 19 जून 1971 से पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स क्लास II पीडब्ल्यूडी के अनुसार हरियाणा सर्विस ऑफ

इंजीनियर्स क्लास II सर्विस में नियुक्त किया गया था। (बी एंड आर शाखा) नियम, 1965, जिसे इसके बाद वर्ग II नियम के रूप में संदर्भित किया गया है।द्वितीय श्रेणी के नियमों के नियम 6 में निम्नलिखित स्रोतों से द्वितीय श्रेणी की सेवा में भर्ती की विधि प्रदान की गई हैः–

सीधी नियुक्ति;

(i) हरियाणा पी. डब्ल्यू. डी. बी. एंड आर. एफ. के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा। अनुभागीय अधिकारी (इंजीनियरिंग);

(ii) ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन और ट्रेसर सेवाओं के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा;

(iii) हरियाणा पीडब्ल्यूडी, (बी एंड आर) अनुभागीय अधिकारी (इंजीनियरिंग) सेवा और मसौदा तैयार करने वाले और अनुच्छेद में निर्धारित योग्यता रखने वाले अनुरेखक और अनुरेखक सेवाओं के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा बी ' इन नियमों के लिए।

नियम 6 में द्वितीय श्रेणी की सेवा में भर्ती के लिए प्रत्येक श्रेणी के लिए एक निश्चित कोटा भी प्रदान किया गया है और भर्ती के आदेश के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के लिए कोटा के अनुसार नियम 12 के तहत सेवा के सदस्यों की वरिष्ठता भी तय की गई है। सत पाल सिक्का, प्रतिवादी संख्या 2 और ईश्वर कुमार मदान, प्रतिवादी संख्या 2 और 3, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद क्रमशः 21 जून, 1973 और 9 मई, 1973 को सीधे सहायक अभियंता के रूप में द्वितीय श्रेणी की सेवा में शामिल हुए। इस प्रकार, प्रतिवादी उनसे कनिष्ठ थे और हरियाणा पी. डब्ल्यू. डी. भवन और सड़क शाखा के

इंजीनियरों की हरियाणा सेवा, वर्ग I, वर्ग II और अन्य राजपत्रित अधिकारियों की श्रेणीकरण सूची में, जिसे 1 अप्रैल, 1972 तक सही किया गया था, जिसे इसके बाद श्रेणीकरण सूची के रूप में संदर्भित किया गया था, प्रतिवादी 2 और 3 के नाम शामिल नहीं थे क्योंकि ये प्रतिवादी तब तक सेवा में शामिल नहीं हुए थे। याचिकाकर्ता का नाम अनुभागीय अधिकारियों से पदोन्नत उप-अनुभागीय अभियंता की श्रेणीकरण सूची की धारा संख्या 2 में दर्ज किया गया है।जनवरी, 1973 तक संशोधित श्रेणीकरण सूची में 31 अक्टूबर, 1966 के बाद भर्ती किए गए अस्थायी सहायक अभियंताओं के नाम धारा संख्या 36 में दिखाए गए थे और पृष्ठ 36 पर धारा संख्या 5 और 6 में प्रतिवादीओं 2 और 3 के नाम और श्रेणी II में नियुक्त अनुभागीय अधिकारियों से पदोन्नत उप-मंडल अधिकारियों के नाम दिखाए गए थे। सेवा के सदस्यों को पृष्ठ 37 पर दिखाई गई थी और उस सूची में याचिकाकर्ता का नाम धारा 2-ए पर था, श्रेणीकरण सूची में ध्यान दें दिया गया है कि 3 से *5 श्रेणियों* की वरिष्ठता के बीच, यानी 31 अक्टूबर, 1966 के बाद भर्ती किए गए अस्थायी सहायक अभियंता, अनुभागीय अधिकारियों से पदोन्नत कार्यवाहक उप-मंडल अभियंता और ड्राफ्ट्समैन से पदोन्नत कार्यवाहक उप-मंडल अभियंताओं पर नियत समय में निर्णय लिया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि 1 जनवरी, 1984 तक संशोधित श्रेणीकरण सूची में एक बार फिर यह ध्यान दें *किया* गया है कि चतुर्थ से नौवीं श्रेणी की वरिष्ठता का निर्णय नियत समय में किया जाएगा। सरकार द्वारा वरिष्ठता को 1987 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, जब यह पहली बार याचिकाकर्ता को *सूचित* किया गया था-उनके 27 फरवरी, 1987 के पत्र के माध्यम से (संलग्नक पी-3 की प्रति), जिसमें

याचिकाकर्ता का नाम धारा संख्या 7 में दिखाया गया था और प्रतिवादी संख्या 2 और 3 का नाम क्रमशः धारा संख्या 9 और 10 में दर्शाया गया *था। विभिन्न स्रोतों* से भर्ती किए गए द्वितीय श्रेणी के सदस्यों के बीच अंतर-वरिष्ठता के निर्धारण से पहले, याचिकाकर्ता ने विरोध किया कि वर्ष 1978 में, कार्यकारी अभियंताओं के दो रिक्त पद खाली हो गए थे, जिन्हें पंजाब सेवा अभियंता, प्रथम श्रेणी, पीडब्ल्यूडी में निहित प्रावधानों के अनुसार द्वितीय श्रेणी सेवा के सदस्यों से पदोन्नति द्वारा भरा जाना था। (भवन और सड़कें) शाखा नियम, 1960, जिसे इसके बाद प्रथम श्रेणी नियम के रूप में संदर्भित किया गया है। याचिकाकर्ता ने यह आशंका जताते हुए कि उसका नाम कार्यकारी अभियंता के लिए पदोन्नति के लिए पैनल में नहीं भेजा जा रहा है और प्रतिवादी संख्या 2, सत पाल सिक्का, जो उससे कनिष्ठ थे, के नाम पर विचार किया जा रहा है, 28 मई, 1978 को *प्रतिवादी संख्या* 1 को एक अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी-1) दिया जिसमें उप-मंडल अभियंता (मैकेनिकल) की अंतर वरिष्ठता निर्धारित करने और कार्यकारी अभियंता (मैकेनिकल) के पद पर पदोन्नति के लिए उसके मामले पर विचार करने *का* अनुरोध किया गया था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को पदोन्नत किया। श्री सत पाल सिक्का,-5 अक्टूबर, 1978 के अपने *आदेश के* माध्यम से (अनुलग्नक पी. 2)। इसी तरह, श्री ईश्वर कुमार मदन (तदर्थवादी संख्या 3) को विशुद्ध रूप से अस्थायी तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया था।ये पदोन्नति याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लिए बिना की गई थी, जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 दोनों से वरिष्ठ था और जिसे 7 साल का अनुभव था जबकि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को कक्षा 2 सेवा में 5 साल का अनुभव था। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ऐसा प्रतीत होता है

कि उसे नजरअंदाज कर दिया गया था क्योंकि वह एक डिप्लोमा धारक है और प्रतिवादी संख्या 1 ने गलत दृष्टिकोण अपनाया कि इंजीनियरिंग में डिग्री कक्षा II से कक्षा I सेवा में पदोन्नति के लिए एक पूर्व शर्त है। यह भी कहा गया है कि वर्ष 1980 में कार्यकारी अभियंता (मैकेनिकल) की एक रिक्ति खाली हो गई थी और याचिकाकर्ता के नाम को जांच समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ने श्री ओ. पी. बेहई को पदोन्नत किया था। जिन्हें पहले 22 दिसंबर, 1976 को वापस कर दिया गया था और उनके प्रत्यावर्तन को उच्च न्यायालय द्वारा 1978 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 1012 में दरकिनार कर दिया गया था, जिसका निर्णय 18 मार्च, 1980 को लिया गया था। यह *आगे कहा* गया है कि प्रतिवादी संख्या 3 को पहले तदर्थ आधार पर कक्षा I में पदोन्नत किया गया था और उनके स्थान पर, श्री हरबंस लाल को उसी तारीख से सरकार द्वारा पदोन्नत किया गया था, लेकिन उनकी पदोन्नति को 14 दिसंबर, 1978 से पूर्वव्यापी बनाया गया था, जब उनके कनिष्ठ व्यक्ति यानी सत पाल सिक्का को पदोन्नत किया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने *अंतर वरिष्ठता* तय करने और पदोन्नति के लिए अपने मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को कई अभ्यावेदन दिए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर से, कार्यकारी अभियंता (मैकेनिकल) की रिक्ति हो गई थी और प्रतिवादी संख्या 1 फिर से याचिकाकर्ता को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था और ईश्वर कुमार मदान, प्रतिवादी संख्या 3 को पदोन्नत करना चाहता था, हालांकि बाद वाला याचिकाकर्ता से कनिष्ठ है। यह भी कहा जाता है कि द्वितीय श्रेणी की सेवा से प्रथम श्रेणी की सेवा में पदोन्नति प्रथम श्रेणी के नियमों के नियम 5 और 6 द्वारा नियंत्रित

होती है। नियम 5 सेवा में भर्ती की विधि प्रदान करता है जबकि नियम 6 आवश्यक योग्यता निर्धारित करता है। नियम 6 (बी) के अनुसार, याचिकाकर्ता द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नति की शर्त को पूरा कर रहा था और द्वितीय श्रेणी सेवा से प्रथम श्रेणी सेवा में *पदोन्नति के लिए इंजीनियरिंग में डिग्री एक पूर्व-आवश्यक शर्त नहीं* है, जैसा कि ए. एस. परमार आदि बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (1) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है।

(2) याचिकाकर्ता ने ए. एस. परमार के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के प्रभाव को *कम करने के आदेश* के खिलाफ हरियाणा सरकार ने 14 जनवरी, *1985* को जारी अधिसूचना के माध्यम से नियमों में संशोधन किया। इस संशोधन को 18 मार्च, 1960 से पूर्वव्यापी बनाया गया था, यानी जिस दिन से प्रथम श्रेणी के नियम बनाए गए थे और इस नियम में नए खंडों को प्रतिस्थापित करके नियम 6 में संशोधन किया गया था और नियम 9 में, उप-नियम (1) परंतुक को एक नए परंतुक द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था जिससे डिप्लोमा योग्यता वाले द्वितीय श्रेणी की सेवा के सदस्य प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए पूरी तरह से अयोग्य हो गए थे। याचिकाकर्ता का तर्क है कि ये संशोधन पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 के तहत केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किए *गए थे* क्योंकि ये याचिकाकर्ता के अर्जित अधिकार को छीनने के समान थे और अधिकार अधिकारातीत थे।राज्य सरकार ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी उल्लंघन किया है। यह भी कहा जाता है कि हरियाणा सरकार ने पंजाब में भी इंजीनियरों की सेवा वर्ग पी. डब्ल्यू. डी. (सिंचाई शाखा) नियम, 1964 दिनांक 22 जून, 1984 को अधिसूचना जारी

करके इसी तरह के संशोधन किए थे। उस अधिसूचना को टी. आर. कपूर और अन्य *बनाम हरियाणा राज्य (2)* मामले *में शीर्ष अदालत* में चुनौती दी गई थी और शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करने के साथ-साथ पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 का उल्लंघन करने वाली अधिसूचना को रद्द कर दिया था। यह भी कहा जाता है कि 14 जनवरी, 1985 की अधिसूचना, संलग्नक पी. *4 को इस न्यायालय द्वारा बी. एम. शर्मा* बनाम हरियाणा राज्य (3) में रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने टी. आर. कपूर के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के आधार पर और बी. *एम. शर्मा के* मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले *के आधार पर अपने* मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 को फिर से अभ्यावेदन दिया क्योंकि याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर पदोन्नति के लिए नजरअंदाज किया जा रहा है कि वह एक डिप्लोमा धारक है और इस प्रकार पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है। लेकिन विभाग से *कोई प्रतिक्रिया* नहीं मिलने पर और यह जानने पर कि बी. एम. शर्मा के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 याचिकाकर्ता की अनदेखी करके प्रतिवादी संख्या 3 ईश्वर कुमार मदन को पदोन्नत करने पर आमादा है और प्रतिवादी संख्या 3 के पदोन्नति पत्र अनुमोदन के लिए मुख्यमंत्री को भेजे गए थे, याचिकाकर्ता ने यह *रिट* संलग्नक संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत रिट याचिका दायर की थी ताकि वह मैडमस की प्रकृति में एक रिट जारी कर सके और प्रतिवादी संख्या 1 को उस तारीख से याचिकाकर्ता पर विचार करने और उसे पदोन्नत करने का निर्देश दे जिस दिन से उसके कनिष्ठ व्यक्ति को वर्ग I सेवा में कार्यकारी अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था और निषेध या अन्य रिट या आदेश की रिट जिसमें

प्रतिवादी संख्या 1 को उत्तरदाता की पदोन्नति का आदेश जारी नहीं करने का निर्देश दिया गया था और इस पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले को संशोधित नियम अनुलग्नक पी 4 की अनदेखी करके विचार करे। याचिकाकर्ता ने याचिका में निम्नलिखित कानूनी बिंदु उठाए थेः–

(i) क्या याचिकाकर्ता प्रथम श्रेणी सेवा में कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार है, जिस दिन से उसके कनिष्ठों को विशेष रूप से उन परिस्थितियों में पदोन्नत किया गया था *जब* याचिकाकर्ता की वरिष्ठता प्रतिवादी संख्या 2 और 3 और द्वितीय श्रेणी सेवा के अन्य सदस्यों की वरिष्ठता पहली बार जनवरी 1987 में तय की गई थी?

(ii) क्या प्रतिवादी संख्या 1 श्रेणी I नियमों के संलग्नक पी. 4 में किए गए संशोधन के आधार पर कार्यकारी अभियंता के श्रेणी I पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता की उपेक्षा कर सकता है। बी. एम. शर्मा बनाम *हरियाणा राज्य* के मामले में निर्णय लेते समय माननीय उच्च न्यायालय ने जिसे अधिकार अधिकारातीत घोषित *किया* है?

(iii) क्या प्रतिवादी संख्या 1,1984 (1) एस. एल. आर. 454 में रिपोर्ट किए गए ए. एस. परमार बनाम हरियाणा राज्य के मामले में दिए गए निर्णय के अनुपात के विपरीत मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री योग्यता नहीं होने के आधार पर याचिकाकर्ता की अनदेखी करके प्रतिवादी संख्या 3 को वरिष्ठता सूची में *याचिकाकर्ता* से कनिष्ठ व्यक्ति के रूप में

पदोन्नत कर सकता है?

(iv) क्या याचिकाकर्ता के मामले पर पिछली तारीख से पदोन्नति के लिए विचार नहीं करने में प्रतिवादी की कार्रवाई भेदभावपूर्ण और संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 2 एक ही श्रेणी की सेवा के सदस्य हैं?

(3) इस रिट याचिका का प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से दाखिल रिटर्न का विरोध किया, जो श्रीमती वेद कुमारी, उप सचिव, सरकार, हरियाणा, पी. डब्ल्यू. डी. बी. एंड आर. आई. शाखा द्वारा दायर किया गया था। यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को द्वितीय श्रेणी के नियमों के नियम 6 (4) के तहत छह महीने की अवधि के लिए उप-मंडल अभियंता एच. एस. ई. वर्ग 11 के रूप में पदोन्नत किया गया था, क्योंकि अनुभव के आधार पर वह 19 जून, 1971 को पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था। याचिकाकर्ता को बाद में 25 अक्टूबर, 1972 को पूर्वव्यापी प्रभाव से 19 जून, 1971 से आदेश अनुलग्नक पी 2 द्वारा प्रतिस्थापित, उसी संख्या और तारीख वाले सरकारी पत्र के माध्यम से द्वितीय श्रेणी में नियुक्त किया गया था। आगे यह बताया गया कि प्रतिवादी 2 और 3 क्रमशः 21 दिसंबर, 1972 और 9 नवंबर, 1972 को अस्थायी सहायक अभियंता (प्रशिक्षण के तहत) के रूप में द्वितीय श्रेणी सेवा में शामिल हुए, न कि 21 जून, 1973 और 9 मई, 1973 को, जैसा कि याचिकाकर्ता ने दर्शाया था। और याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत उपरोक्त संदर्भित तारीखें वे तारीखें हैं जब उत्तरदाताओं 2 और 3 ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। आगे यह स्वीकार किया गया कि

द्वितीय श्रेणी सेवा (मैकेनिकल विंग) के सदस्यों के बीच वरिष्ठता नियम 12 के तहत तय की गई थी और पहली बार 1987 में प्रसारित की गई थी। तथापि, यह अनुमान लगाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा 28 मई, 1978 को दायर किए गए अभ्यावेदन को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था और तदनुसार याचिकाकर्ता को उनके नियंत्रक *प्राधिकारी* अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक) के माध्यम से सूचित किया गया था -विद्युत पत्र दिनांक 22 दिसंबर, 1978 (प्रतिलिपि अनुलग्नक आर. 4) जो कि मुख्य अभियंता द्वारा जारी किया गया था। इसके अलावा यह भी स्वीकार किया गया कि उपर्युक्त वरिष्ठता सूची में, याचिकाकर्ता की वरिष्ठता धारा संख्या 7 में दिखाई गई थी, अब यह विवादित है क्योंकि प्रतिवादी 2 और 3 ने इसे चुनौती दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप कि उनका नाम 17 अप्रैल, 1978 और 20 जून, 1979 को प्रतिवादी 2 और 3 के साथ पदोन्नति के पैनल में विचार नहीं किया गया था, इसका खंडन किया गया। दूसरी ओर, यह बनाए रखा गया था कि याचिकाकर्ता का नाम भी उचित स्थान पर अर्थात प्रतिवादी 2 और 3 से ऊपर विचार किया गया था, लेकिन वह पदोन्नति के लिए अयोग्य पाए जाने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के रूप में वर्ग नियमों के नियम 6 (ए) और (बी) में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था और 8 साल के सेवा अनुभव की आवश्यकता थी और पदोन्नति पर विचार करने के लिए गठित समिति ने प्रतिवादी 2 और 3, जो डिग्री धारक हैं, को 8 वर्षों से 6 वर्षों तक की सेवा अनुभव में छूट दी थी, जबकि याचिकाकर्ता के मामले में दो छूट की आवश्यकता थी, यानी डिग्री योग्यता में

छूट और 8 साल के सेवा अनुभव। याचिकाकर्ता को पदोन्नति के प्रत्येक चरण में सेवा अनुभव और डिग्री योग्यता में छूट का कोई अधिकार नहीं था, विशेष रूप से जब याचिकाकर्ता को 1971 में जूनियर इंजीनियर के पद से पब-डिवीजनल इंजीनियर के रूप में पदोन्नति के समय 10 साल से 8 साल तक सेवा अनुभव में छूट की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार, यह कहा गया कि याचिकाकर्ता को वर्ष 1978 में पदोन्नति के लिए विभाग द्वारा उचित रूप से नजरअंदाज किया गया था। याचिकाकर्ता का आरोप कि वर्ष 1980 में जांच समिति ने उनके नाम को मंजूरी दी थी, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा इसे खारिज कर दिया गया था। दूसरी ओर, यह कहा गया कि समिति ने वर्ष 1980 में आयोजित अपनी बैठक में सर्वश्री ओ. पी. बेहल और हरलांस लाई के नामों पर विचार किया जो निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता से वरिष्ठ थे। यह भी कहा गया कि 27 फरवरी, 1987 को कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए योग्य उप-मंडल अभियंताओं (मैकेनिकल) के नामों पर विचार करने के लिए आयोजित जांच समिति की बैठक में याचिकाकर्ता के नाम पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उसके पास 14 जनवरी की अधिसूचना के *माध्यम* से विधिवत संशोधित कक्षा I नियमों के नियम 6 (बी) के तहत डिग्री मान्यता नहीं थी। 1985 प्रतिवादी संख्या 3, जो एक डिग्री धारक है, को वर्ष 1987 के दौरान उपलब्ध पद के विरुद्ध पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया गया। चूंकि याचिकाकर्ता उपरोक्त नियमों के संशोधन के बाद पदोन्नति के लिए योग्य बने, और 1 सितंबर, 1987 को रिक्ति हो गई। यह संशोधित नियमों के पूर्वव्यापी अनुप्रयोग का मामला नहीं था और इस प्रकार यह तर्क दिया गया कि बी. एम. शर्मा के

मामले में इस न्यायालय की खण्ड पीठ के फैसले से याचिकाकर्ता को कोई मदद नहीं मिली क्योंकि उस मामले में केवल नियमों के पूर्वव्यापी संचालन को रद्द कर दिया गया था और स्वयं संशोधित नियम नहीं। यह भी कहा गया कि विभाग ने ए. एस. परमार के मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुपात को रद्द करने के लिए नियमों में संशोधन नहीं किया था। इस बात से भी इनकार किया गया कि उक्त संशोधन ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया था क्योंकि याचिकाकर्ता को 19 जून, 1971 को हरियाणा राज्य के गठन के बाद उप-मंडल अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था और इस प्रकार उपर्युक्त पुनर्गठन अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित नहीं किया गया था। इसे भी बरकरार रखा गया था कि टी. आर. कपूर के मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं होता है और यह कि रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने अनुचित लाभ के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया था।

(4) प्रतिवादी 2 और 3 ने भी प्रतिवादी संख्या 1 के उपरोक्त संस्करण का समर्थन करते हुए संयुक्त विवरणी दायर की थी, इसके अलावा यह तर्क दिया था कि चूंकि याचिकाकर्ता को केवल कार्यवाहक उप-मंडल अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया था और इस तारीख तक भी इसकी पुष्टि नहीं की गई थी, इसलिए वह कक्षा 2 सेवा का सदस्य नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वे वर्ग II नियम के अनुसार कोटा और रोटा नियम के आधार पर याचिकाकर्ता से वरिष्ठ हैं। उन्होंने पहले की रिक्तियों की उपलब्धता और द्वितीय श्रेणी की सेवा में विभिन्न स्रोतों से व्यक्तियों की नियुक्ति का विवरण भी दिया।

(5) मैंने अभिलेख को पढ़ने के अलावा पक्षकारों के विद्वान

अधिवक्ता को भी सुना है।

(6) हाथ में मामले में, पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता पृथ्वी राज ग्रोवर, इसे भी स्वीकार किया जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद 8 जनवरी, 1963 को पूर्ववर्ती पंजाब राज्य में अनुभागीय अधिकारी के रूप में सेवा में शामिल हुए थे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जून, 1971 दाखिल विवरणिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को 19वीं से 10 वर्ष से 8 वर्ष के सेवा अनुभव में छूट देने के बाद द्वितीय श्रेणी के नियमों के नियम 6 (4) के तहत अस्थायी आधार पर द्वितीय श्रेणी की सेवा में उप-मंडल अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह *भी स्वीकार* किया जाता है कि विभिन्न स्रोतों से द्वितीय श्रेणी की सेवा के सदस्यों की अंतर-वरिष्ठता का निपटारा वर्ष 1987 तक नहीं किया गया था, जब याचिकाकर्ता को प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की तुलना में वरिष्ठता में अधिक माना गया था। यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी 2 और 3 ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त करने के बाद क्रमशः 21 दिसंबर, 1972 और 9 नवंबर, 1972 से सीधे उप-मंडल अभियंता के रूप में द्वितीय श्रेणी की सेवा में प्रवेश किया और वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता का नाम धारा संख्या 7 में जबकि प्रतिवादी 2 और 3 का नाम क्रमशः धारा संख्या 9 और 10 में था। अनुच्छेद 8 में प्रतिवादी संख्या 1 रिटर्न में कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के प्रतिनिधित्व पर उपरोक्त वरिष्ठता की जांच की जा रही है। इस दावे का कोई परिणाम नहीं है क्योंकि वह अभ्यावेदन शायद इस रिट याचिका विचाराधीनता रहने के दौरान बहुत देर से दायर किया गया था। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालने के अलावा कोई रास्ता नहीं है कि याचिकाकर्ता द्वितीय श्रेणी की सेवा में प्रतिवादी 2 और 3 से वरिष्ठ

था। वर्ष 1978 में, प्रथम श्रेणी में कार्यकारी अभियंताओं (मैकेनिकल) की दो रिक्तियां प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल विवरणिका के अनुसार स्वीकृत रूप से खाली हो गईं। यह अनुमान वापसी के पैरा 8 के बाद के भाग में दिया गया है जो इस प्रकार हैः—;

> "यह सही नहीं है कि याचिकाकर्ता के नाम पर प्रतिवादी 2 और 3 के साथ पदोन्नति पैनल में विचार नहीं किया गया था।17 अप्रैल, 1988 और 20 जून, 1979 को पैनल 1 पर विचार करते समय याचिकाकर्ता के नाम पर भी उचित स्थान पर विचार किया गया था, यानी प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के ऊपर, लेकिन उसे पदोन्नति के लिए अयोग्य पाए जाने के कारण पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया क्योंकि वह पी. एस. ई. वर्ग 1 नियम पी. डब्ल्यू. डी. के नियम 6 (ए) और 6 (बी) में निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं कर रहा था। (भवन और सड़क शाखा 1960 (इसके बाद प्रथम श्रेणी के नियमों के रूप में संदर्भित) अर्थात मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री और 8 साल का सेवा अनुभव।प्रथम श्रेणी के नियमों के नियम 8 के तहत एच. एस. ई. प्रथम श्रेणी में पदोन्नति पर विचार करने के लिए गठित समिति ने डिग्री धारक प्रतिवादी संख्या 2 और 3 को सेवा अनुभव में छूट की अनुमति दी, जो 8 वर्ष से बढ़कर 6 वर्ष हो गए और तदनुसार उन्हें पदोन्नत किया गया, जबकि याचिकाकर्ता के मामले में दो छूट की आवश्यकता थी अर्थात डिग्री योग्यता में छूट और 8 वर्ष का सेवा अनुभव।"

विवरणी में उपर्युक्त कथन पर एक नंगी नज़र डालने से इसमें कोई

संदेह नहीं है कि लेकिन इस तथ्य के द्वारा कि कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के द्वारा याचिकाकर्ता के मामले में दो छूट शामिल थीं, याचिकाकर्ता को पदोन्नति के द्वारा उपयुक्त पाया गया था और यदि ऐसा होता तो उसे पदोन्नत किया जा सकता था।अनुभव के संबंध में एक छूट शामिल थी जैसा कि प्रतिवादी 2 और 3 के मामले में किया गया था।प्रतिवादी संख्या 1 का यह निष्कर्ष श्रेणी I नियमों के नियम 6 (ए) और 6 (बी) के प्रावधानों पर गलत निर्माण पर आधारित है।प्रथम श्रेणी के नियमों का अपरिवर्तित नियम 6 इस प्रकार हैः–

> "6. *योग्यताएँ किसी* भी व्यक्ति को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह -
>
> (a) इन नियमों के परिशिष्ट बी में निर्धारित विश्वविद्यालय की डिग्री या अन्य योग्यताओं में से एक हो; बशर्ते कि सरकार द्वितीय श्रेणी की सेवा से संबंधित किसी विशेष अधिकारी के मामले में योग्यता को माफ कर सकती है;
>
> (b) द्वितीय श्रेणी से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में सेवा ने आठ साल की सेवा पूरी की है और नियम 15 में निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की है।

नियम 6 के उपरोक्त उप-नियम (ए) पर एक नंगी नज़र डालने द्वारा इसमें कोई संदेह नहीं है कि विश्वविद्यालय की डिग्री की योग्यता प्रथम श्रेणी की द्वारावा में सीधी भर्ती द्वारा संबंधित है। उप-नियम (ए) में संलग्न परंतुक राज्य सरकार को द्वितीय श्रेणी सेवा के अधिकारियों के मामले में इस शर्त को माफ करने का अधिकार देता है, जिसका अर्थ है कि यदि द्वितीय श्रेणी सेवा से संबंधित कोई अधिकारी स्पष्ट रूप से राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा से सीधी भर्ती चाहता है, तो उस

मामले में, सरकारी आधार को विभागीय अनुभव के आधार पर इंजीनियरिंग में डिग्री रखने की इस योग्यता को माफ करने का अधिकार दिया गया है, जबकि उप-नियम (बी) द्वितीय श्रेणी सेवा से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति से संबंधित है और आवश्यक योग्यताएं नियम 15 में प्रदान की गई श्रेणी आई. टी. में 8 साल की सेवा पूरी करने *और विभाग की विभागीय परीक्षा* उत्तीर्ण *करने से संबंधित हैं। ए. एस.* परमार *और* अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय।अन्य (ऊपर) ने माना कि नियम 6 (ए) सीधी भर्ती का हिस्सा है जबकि कक्षा I नियमों का नियम 6 (बी) पदोन्नति द्वारा कक्षा II सेवा से कक्षा I सेवा में नियुक्ति से संबंधित है। इसने इस मामले को पैरा 7 में और पैरा 8 के एक हिस्से में निम्नानुसार निपटाया हैः–

> "7. प्रथम श्रेणी के नियमों के नियम 6 के धारा (ए) में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पास क्लास I नियमों के परिशिष्ट 'बी' में निर्धारित विश्वविद्यालय की डिग्री या अन्य योग्यताओं में से एक न हो। इसमें आगे यह प्रावधान किया गया है कि सरकार द्वितीय श्रेणी सेवा से संबंधित किसी विशेष अधिकारी के मामले में इस योग्यता को छोड़ सकती है। नियम 6 का खंड (ए) निस्संदेह सभी सीधी भर्तियों पर लागू होता है। यदि कोई क्लास II अधिकारी सीधी भर्ती द्वारा यानी खुली प्रतियोगिता द्वारा भर्ती द्वारा क्लास I सेवा में प्रवेश करना चाहता है, जैसा कि नियम 2 (7) के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदान किया गया है, तो उसके पास नियम 6 (ए) में प्रदान की गई डिग्री होनी चाहिए, जब तक कि प्रावधान के तहत न हो। नियम 6 (ए) के अनुसार सरकार उसके मामले में उक्त

योग्यता को माफ कर देती है। सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को नियम 6 के धारा (सी) में दी गई शर्तों को भी पूरा करना होगा, जो उसमें दिए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र के उत्पादन से संबंधित है और नियम 6 के धारा (डी) में शर्त है जो उसके चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए प्रदान करती है। सिवाय इसके कि ऐसा सत्यापन उसके सरकारी सेवा में प्रवेश के समय पहले ही किया जा चुका हो। उसे नियम 6 के खंड (ई) में उल्लिखित अयोग्यता से भी पीड़ित नहीं होना चाहिए। सीधी भर्ती वाले व्यक्ति को कक्षा । नियमों के नियम 15 का भी पालन करना होगा जो यह प्रावधान करता है कि जब तक उसने पहले से ऐसा नहीं किया है, उसे ऐसे विभागीय उत्तीर्ण होना चाहिए। परीक्षा और ऐसी अवधि के भीतर जो सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती है। 8. वर्ग 1 नियमों के नियम 6 (बी) में प्रावधान है कि "वर्ग II से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में और नियम 15 में दिए गए अनुसार विभाग की व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की है"। प्रश्न यह है कि क्या द्वितीय श्रेणी सेवा के एक अधिकारी को प्रथम श्रेणी नियमों के नियम 6 के धारा (ए) में उल्लिखित योग्यता और धारा (बी) में उल्लिखित दोनों योग्यताओं को पूरा करना चाहिए या उसे केवल धारा (बी) के तहत योग्यताओं को पूरा करना चाहिए।) क्लास 1 सेवा में पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए।

यदि नियम 6 के धारा (ख) में 'भी' शब्द होते या खंड (क) या किसी अन्य शब्द या शब्दों में निहित शब्दों के अतिरिक्त जो उस अर्थ को व्यक्त करते हैं, तो उस खंड का अर्थ लगाने में कोई कठिनाई नहीं होती क्योंकि तब इसका स्पष्ट रूप से अर्थ

होता कि द्वितीय श्रेणी की सेवा में एक अधिकारी जो कार्यकारी अभियंताओं के संवर्ग में पदोन्नति चाहता है, उसके पास धारा (क) में प्रदान की गई डिग्री होनी चाहिए, जब तक कि इसे सरकार द्वारा माफ नहीं किया गया हो और धारा (ख) में उल्लिखित शर्तें उसे संतुष्ट भी करना चाहिए। लेकिन हमें प्रथम श्रेणी के नियमों के नियम 6 के धारा (बी) में ऐसे कोई शब्द नहीं मिलते हैं। प्रथम श्रेणी के नियमों के नियम 6 का धारा (बी) 'द्वितीय श्रेणी की सेवा से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में' शब्दों के साथ खुलता है। यह व्यक्तियों के एक अलग और विशिष्ट वर्ग से संबंधित है जिन्हें द्वितीय श्रेणी की सेवा से कार्यकारी अभियंताओं के संवर्ग में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया जाना है।"

सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इंजीनियरिंग में विश्वविद्यालय की डिग्री रखने की योग्यता प्रथम श्रेणी की आत्यन्तिक रूपवा में सीधी भर्ती के इच्छुक व्यक्तियों पर लागू होती है, न कि द्वितीय श्रेणी की आत्यन्तिक रूपवा आत्यन्तिक रूप पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में। धारा (ख) से यह प्रतीत होता है कि विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना और द्वितीय श्रेणी की सेवा में 8 वर्ष का अनुभव इंजीनियरिंग में विश्वविद्यालय की डिग्री रखने के लिए पर्याप्त माना गया है। नतीजतन, यह अभिनिर्धारित करने के अलावा कोई बच नहीं सकता है कि 17 अप्रैल, 1978 और 20 जून, 1979 को पैनल पर विचार करते समय, याचिकाकर्ता के मामले को इस गलत धारणा पर प्रथम श्रेणी की सेवा में पदोन्नति के लिए खारिज कर दिया गया था कि उसके पास मूल योग्यता, यानी मैकेनिकल इंजीनियर में डिग्री नहीं थी। याचिकाकर्ता 19

जून, 1971 को द्वितीय श्रेणी की सेवा में शामिल हुआ। इस प्रकार, 20 जून, 1979 को पदोन्नति के लिए पैनल पर विचार करते समय, याचिकाकर्ता ने निश्चित रूप से द्वितीय श्रेणी की सेवा में 8 साल का अपेक्षित अनुभव प्राप्त किया था। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने 20 जून, 1979 को याचिकाकर्ता की प्रथम श्रेणी की सेवा में पदोन्नति को इस गलत धारणा पर गलत तरीके से रोक दिया था कि उसके मामले में डिग्री योग्यता में छूट के साथ-साथ 8 साल की सेवा का अनुभव शामिल था, हालांकि याचिकाकर्ता द्वितीय श्रेणी की सेवा में प्रतिवादी संख्या 2 और 3 से वरिष्ठ होने के नाते पदोन्नति का हकदार था।

(7) याचिकाकर्ता के लिए एक और वकील ने कहा कि हरियाणा राज्य ने ए. आर. परमार के मामले में निर्णय के प्रभाव को पूर्ववत आदेश के लिए वर्ष 1985 में प्रथम *श्रेणी के नियमों में* संशोधन किया था ताकि द्वितीय श्रेणी की सेवा से प्रथम श्रेणी की सेवा में पदोन्नति के लिए इंजीनियरिंग योग्यता में डिग्री को आवश्यक बनाया जा सके।यह संशोधन संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रथम श्रेणी नियमों के *नियम* 6 में किया गया था-14 जनवरी, 1985 को प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से, जिसकी प्रति संलग्नक पी. 4 है।इस संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया थाः18मार्च, 1960, अर्थात जिस दिन से प्रथम श्रेणी के नियम बनाए गए थे।नियम 6 में मौजूदा खंडों के स्थान पर नए धारा (ए) और (बी) और मौजूदा परंतुक के लिए उप-नियम (1) में नियम 9 में संशोधन किया गया था। नया परंतुक प्रतिस्थापित किया गया। संशोधित प्रावधान इस प्रकार हैंः–

"6. (क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के मामले में, विश्वविद्यालय

की डिग्री या नियमों के परिशिष्ट ख में निर्धारित अन्य योग्यताओं में से एक हो।

(ख) द्वितीय श्रेणी की सेवा से पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के मामले में, धारा (क) में प्रदान की गई योग्यता के अलावा, आठ साल की सेवा पूरी की है और नियम 15 के तहत निर्धारित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण की हैः

बशर्ते कि सरकार किसी विशेष अधिकारी के मामले में द्वितीय श्रेणी की सेवा से पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए धारा (ए) में उल्लिखित योग्यता की आवश्यकता को माफ कर सकती हैः

बशर्ते कि सरकार पाँच साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारी के मामले में आठ साल की सेवा की शर्त में ढील दे सकती है और ऐसे मामले में अधिकारी नौ साल की सेवा पूरी करने पर कार्यकारी अभियंता के रूप में पहली वृद्धि अर्जित करेगा।

"व्याख्याःआठ साल की सेवा की गणना करने के उद्देश्य से द्वितीय श्रेणी के साथ-साथ प्रथम श्रेणी में सेवा की गणना की जाएगी।"

बशर्ते कि सेवा का कोई सदस्य जिसके पास विश्वविद्यालय की डिग्री या नियमों के परिशिष्ट बी में निर्धारित अन्य योग्यताओं में से एक नहीं है, वह अधीक्षक अभियंता या उससे ऊपर के पद पर पदोन्नति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह अपेक्षित योग्यता प्राप्त नहीं कर लेता है।"

(8) इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं है कि संशोधन का योग और

सार केवल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले द्वितीय श्रेणी सेवा के अधिकारियों को प्रथम श्रेणी सेवा में पदोन्नति के लिए पूरी तरह से अयोग्य बनाने के लिए था और इस प्रकार इसने याचिकाकर्ता के प्रथम श्रेणी सेवा में कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के अधिकार को प्रभावित किया था।

(9) पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स क्लास I, पी. डब्ल्यू. डी. के पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ इसी तरह का संशोधन (सिंचाई शाखा) नियम, 1960 था जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने टी. *आर. कपूर और अन्य* बनाम *हरियाणा राज्य और अन्य, ए.* आई. आर. 1987 एस. सी. 415 में निरस्त कर दिया था।के शब्दांकन पंजाब सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, क्लास I, लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा) नियम, 1964 का नियम 6 (ए) और 6 (बी) शब्द दर शब्द मामले में क्लास I नियमों के प्रावधानों के अनुरूप था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि नियम 6 (बी) का पूर्वव्यापी संशोधन करना पूरी तरह से मनमाना, तर्कहीन और दुर्भावनापूर्ण होना संविधान के *अनुच्छेद 14* और 16 का उल्लंघन है। यह भी माना गया कि यह संशोधन राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र अधिकारातीत है *क्योंकि केंद्र* सरकार की पूर्व मंजूरी पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 के तहत नहीं ली गई थी। इस कठिनाई का सामना करते हुए, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 (6) के प्रावधान इस मामले की ओर आकर्षित नहीं होंगे क्योंकि याचिकाकर्ता वर्ष 1966 में द्वितीय श्रेणी सेवा का सदस्य नहीं था क्योंकि उसे केवल 16 सितंबर, 1971 को पदोन्नत किया गया था। मान लीजिए कि याचिकाकर्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के बाद 8 जनवरी, 1963 को अनुभागीय अधिकारी के रूप में सेवा में शामिल हुए थे। इस प्रकार, वे तृतीय श्रेणी

सेवा के सदस्य थे और द्वितीय श्रेणी के नियमों के नियम 6 में अनुभागीय अधिकारियों (इंजीनियरिंग) के संवर्ग से द्वितीय श्रेणी में उप-अनुभागीय इंजीनियरिंग के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है, भले ही अनुभागीय अधिकारी डिप्लोमा धारक हो। यह अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता वास्तव में द्वितीय *श्रेणी* की सेवा में और नियत समय में प्रथम श्रेणी की सेवा में पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का हकदार था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम श्रेणी के नियमों के नियम 6 में द्वितीय श्रेणी में उप-मंडल अभियंताओं से कार्यकारी अभियंता के पद पर पदोन्नति का भी प्रावधान है, याचिकाकर्ता के इस तर्क में काफी बल है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 82 (6) के प्रावधान याचिकाकर्ता के मामले की ओर भी आकर्षित होंगे।टी. आर. कपूर के मामले (ऊपर) में शीर्ष अदालत ने फैसले के पैरा 11 में यह भी कहा था *कि श्री टी. आर.* कपूर पूर्ववर्ती पंजाब राज्य के तहत तृतीय श्रेणी की सेवा से संबंधित पर्यवेक्षक थे और हालांकि उन्हें बाद में नवंबर, 1969 में द्वितीय श्रेणी की सेवा में उप-मंडल अभियंता के रूप में पदोन्नत किया गया था, फिर भी सब कुछ वैसा ही था, क्योंकि श्री टी. आर. कपूर और अन्य लोगों को न केवल यह वैध उम्मीद थी कि उन्हें नियत समय में पदोन्नति के लिए विचार किया जाएगा, बल्कि उन्हें इस तरह की पुष्टि पर भी अधिकार था कि उन्हें अपरिवर्तित नियमों के तहत पदोन्नति के लिए विचार किया जाए, इस प्रकार दूसरे पक्ष के तर्क को अप्रत्यक्ष रूप से खारिज कर दिया गया कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 82 (6) के प्रावधान में आकर्षित नहीं किया जाएगा चूँकि वह नवंबर, 1966 में द्वितीय श्रेणी सेवा के सदस्य नहीं थे।

(10) उपर्युक्त स्थिति के लिए प्रतिवादी के विद्वान वकील ने

तर्क दिया कि केंद्र सरकार द्वारा परंतुक के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन करने की अनुमति संविधान के अनुच्छेद 309 को 11 मई, 1954 को भारत सरकार द्वारा सभी राज्य सरकारों को जारी किए गए परिपत्र पत्र में अच्छी तरह से शामिल किया गया है, जिसमें राज्य के प्रतिनिधियों की ओर से व्यक्त किए गए विचार के साथ उनकी सहमति दिखाई गई है कि विभागीय पदोन्नति के मामले में कोई सुरक्षा प्रदान करना उचित नहीं होगा। मामले के इस पहलू पर शीर्ष अदालत ने टी. आर. कपूर के मामले (ऊपर) में फैसले के पैरा 12 में निम्नानुसार विचार किया थाः–

> "यह सुझाव नहीं दिया जाता है कि राज्य सरकार ने कभी भी आर के प्रस्तावित संशोधन 6 (ख) प्रथम श्रेणी के नियम के लिए केंद्र सरकार से उसकी पूर्व मंजूरी मांगी हो। इस संबंध में, यह याद रखना आवश्यक है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राज्यों के पुनर्गठन से पहले राज्यों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन,
>
> जिन राज्यों को प्रभावित होना था, उनका आयोजन दिल्ली में 18 और 19 मई, 1956 को उन सिद्धांतों के निर्माण के उद्देश्य से किया गया था, जिन पर सेवाओं का एकीकरण किया जाना था। भारत सरकार ने 11 मई, 1957 को सभी राज्य सरकारों को अपने परिपत्र अन्य बातों के साथ *साथ कहा* कि वह राज्य के प्रतिनिधियों की ओर से व्यक्त किए गए विचारों से सहमत है कि विभागीय पदोन्नति के मामले अन्य बातों के साथ साथ कोई सुरक्षा प्रदान करना उचित नहीं होगा। इस परिपत्र की व्याख्या विभागीय पदोन्नति से संबंधित सेवा शर्तों में बदलाव के मामले में अधिनियम की धारा 115

की उप-धारा (7) के प्रावधान के अनुसार केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के रूप में की गई है। हालाँकि ये विचार वर्तमान मामले में उत्पन्न नहीं होते हैं। मान लीजिए कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत राज्यों के पुनर्गठन से पहले कोई मुख्य सचिवों का सम्मेलन नहीं हुआ था। न ही केंद्र सरकार द्वारा सेवा शर्तों में परिवर्तन के बारे में अपनी पूर्व मंजूरी के बारे में कोई संचार जारी किया गया था जो पंजाब और हरियाणा राज्य एस के प्रावधान के संदर्भ में कर सकते हैं। धारा 82 (6) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1986 के तहत भी, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत नियम बनाने की राज्यपाल की शक्ति को एस के परंतुक धारा 155 (7) पूर्व अधिनियम और पत्र की धारा 82 (6) द्वारा नियंत्रित किया गया था। यह इस प्रकार है कि सेवा की शर्तें इससे तुरंत पहले लागू होती हैं उप-अनुसूचियों में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के मामले में नियत दिन।(1) अधिनियम की धारा 82 के या (2) को केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन के अलावा उसके नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता था। ऐसा होने के कारण, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई विवादित अधिसूचना में संशोधन किया गया है। धारा 6 (ख) 10 जुलाई, 1964 से प्रभावी प्रथम श्रेणी के नियमों के तहत द्वितीय श्रेणी सेवा के ऐसे सदस्य जो डिप्लोमा धारक हैं जैसे याचिकाकर्ता ऐसी पदोन्नति के लिए आवश्यक इंजीनियरिंग में डिग्री बनाने के लिए प्रथम श्रेणी सेवा में कार्यकारी अभियंता के पद अधिकारातीत पदोन्नति

के लिए अयोग्य हैं, हालांकि वे उस श्रेणी की सेवा में 8 साल के अनुभव की पात्रता की शर्त को पूरा करते हैं, उन्हें रद्द कर दिया जाना चाहिए *क्योंकि राज्य* सरकार पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 (6) के विअधिकारातीतीत है।"

(11) शीर्ष न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त पत्र पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 82 (6) के तहत याचिकाकर्ता की सेवा की शर्तों से संबंधित प्रथम श्रेणी के नियमों के संशोधन को मान्य करने के लिए लागू नहीं होता है।

(12) बी. एम. शर्मा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1987 *(5)* एस. *एल. आर. 531 में इस न्यायालय* की खण्ड पीठ उन्हीं नियमों के उपरोक्त पूर्वव्यापी प्रभाव की व्याख्या करते हुए संशोधित नियम 6 और 9 के पूर्वव्यापी संचालन को सरकार की शक्तियों अधिकारातीत मानते हुए रद्द कर दिया था। खण्ड पीठ *ए. एस.* परमार के मामले में शीर्ष न्यायालय के अनुपात और टी. आर. कपूर के मामले (उपरोक्त) पर इस *निष्कर्ष पर पहुंचने पर* भरोसा किया *था कि 14* जनवरी, 1985 की विवादित अधिसूचना, जिसमें पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रथम श्रेणी सेवा के नियम 6 में संशोधन किया गया था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है और तदनुसार राज्य सरकार *को अधिकार* अधिकारातीत घोषित करती है।

(13) तब सवाल उठता है कि क्या याचिकाकर्ता रिट याचिका दायर करने में देरी या देरी का दोषी था और यदि ऐसा है, तो किस प्रभाव से। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है *कि विभिन्न* स्रोतों से भर्ती किए गए द्वितीय श्रेणी की सेवा के सदस्यों के बीच अंतर-वरिष्ठता वर्ष

1987 तक अस्थिर रही। इस प्रकार, भले ही प्रतिवादी संख्या 1 का मामला सही माना जाए कि प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की पदोन्नति के खिलाफ 28 मार्च, 1978 और 19 जुलाई, 1978 के अभ्यावेदन को वर्ष 1978 में अस्वीकार कर दिया गया था या यह कि यह अस्वीकृति आदेश याचिकाकर्ता को अधीक्षण अभियंता, मैकेनिकल, कमल द्वारा से 20 दिसंबर, *1978* के पत्र द्वारा से सूचित किया गया था, तो यह होगा। इसका कोई परिणाम नहीं होगा क्योंकि तब तक अंतिम वरिष्ठता का निपटारा नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता वरिष्ठता के मामले में अपनी स्थिति के बारे में निश्चित नहीं था। हालाँकि, जब भी कोई अवसर आया, याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों के समक्ष इस मामले को लेकर आंदोलन जारी रखा क्योंकि वर्ष 1980 में भी याचिकाकर्ता ने इसी तरह का अभ्यावेदन दायर किया था। वास्तव में, याचिकाकर्ता वर्ष 1978 से विभिन्न *स्रोतों से* भर्ती की गई द्वितीय श्रेणी की सेवा के सदस्यों के बीच अंतर-वरिष्ठता के निपटारे के लिए बार-बार गुहार लगा रहा है। याचिका के पैरा 11 में, याचिकाकर्ता के इस दावे को कि उसने अंतर वरिष्ठता तय करने और पदोन्नति *के लिए* अपने मामले पर विचार करने के लिए प्रतिवादी नं. 1 को कई अभ्यावेदन दिए थे, प्रतिवादी नं. 1 द्वारा विवरणी के संबंधित पैरा 11 में विशेष रूप से अस्वीकार नहीं किया गया था। यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता के 28 मई, 1978 और 19 जुलाई, 1978 के अभ्यावेदनों पर विधिवत विचार किया गया और उन्हें खारिज कर दिया गया और याचिकाकर्ता को सुपरिन टेंडरिंग इंजीनियर, कमल द्वारा से इसके बारे में सूचित किया गया। मामला यहां *नहीं रुकता क्योंकि ए.* एस. परमार के *मामले (ऊपर) और* टी. आर. कपूर के मामले (ऊपर) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, याचिकाकर्ता ने फिर से प्रतिवादी संख्या 1 को इस

आशय का प्रतिनिधित्व दायर किया था कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा धारकों *को उपरोक्त* मामलों में फैसले के लाभ से अवैध रूप से वंचित कर दिया गया था और दुर्भावनापूर्ण तरीके से 18 मार्च, 1960 से पूर्वव्यापी प्रभाव से श्रेणी । नियमों के नियम 6 और 9 में संशोधन करते हुए अधिसूचना अनुबंध पी 4 जारी की गई थी, जब मूल नियम लागू हुए थे। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दाखिल विवरणी के संबंधित पैरा 18 में, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता से कार्यकारी अभियंता के रूप में उनकी पदोन्नति के लिए 24 अगस्त, 1987 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था, लेकिन यह इस अभ्यावेदन के भाग्य के बारे में चुप है। यद्यपि याचिकाकर्ता उच्चतम न्यायालय और इस न्यायालय के उपर्युक्त निर्णयों को अधिकार के रूप में लागू करने का दावा नहीं कर सकता था, फिर भी राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती थी कि वह खुले दिमाग से अभ्यावेदन की जांच करेगी कि क्या प्रथम श्रेणी के नियमों के अपरिवर्तित नियम 6 की व्याख्या के आलोक में, याचिकाकर्ता किसी भी पदोन्नति का हकदार था।हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता जियाद 24 अगस्त, 1987 तक राज्य सरकार के समक्ष आंदोलन कर रहे थे, कि उन्हें प्रथम श्रेणी की सेवा में पदोन्नति के लिए गलत तरीके से नजरअंदाज किया गया है, यह किसी भी तरह से कल्पना से नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने वर्तमान याचिका 27 अक्टूबर, 1987 को देर से दायर की थी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस रिट याचिका की स्वीकृति से प्रतिवादी 2 और 3 को प्रथम श्रेणी की सेवा में पदोन्नत किया जा सकता है, फिर भी याचिकाकर्ता को 20 जून, 1979 को प्रथम श्रेणी के नियमों के अपरिवर्तित नियम 6 के अनुसार पदोन्नति के लिए पूरी तरह से पात्र होने के बावजूद केवल कम अंक प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। जब उसे प्रतिवादी

2 और 3 के साथ पदोन्नति के लिए विचार किया गया था जैसा कि प्रतिवादी सं। वापसी के पैरा 8 में । जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, याचिकाकर्ता ने तब तक द्वितीय श्रेणी की सेवा में 8 साल का आवश्यक अनुभव प्राप्त कर लिया था क्योंकि उसे 19 जून, 1971 से द्वितीय श्रेणी की सेवा में पदोन्नत किया गया था और वह एक डिप्लोमा धारक था।यह विवादित नहीं है कि उन्होंने विभागीय परीक्षा भी उत्तीर्ण की है।

(14) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए प्रथम श्रेणी के नियमों के नियम 6 और 9 में संशोधन को रद्द कर दिया गया है और इस रिट याचिका को स्वीकार करके राज्य *सरकार को* अधिकार अधिकारातीत कर दिया गया है।प्रतिवादी संख्या 1 को इस आदेश के दो महीने के भीतर सभी परिणामी लाभों के साथ, वर्ष 1987 में परिचालित वरिष्ठता के आधार पर, 20 जून, 1979 से याचिकाकर्ता को पदोन्नत करने का निर्देश दिया गया है, जब उसे प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के साथ पदोन्नति के लिए विचार किया गया था। तथापि, प्रतिवादी-राज्य प्रतिवादी 2 और 3 की कठिनाई से बचने के लिए एक अतिरिक्त पद बनाने की वांछनीयता पर विचार कर सकता है। याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 से इस याचिका के खर्च का भी हकदार होगा, जिसे 1,000 रुपये पर आंका गया है।"

आर.एन.आर

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

कोमल दहिया

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा